संख्या- 45/2016/1267/30-3-16-39एम/2016टीसी

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 21 जून, 2016

विषय- लखनऊ के गऊ घाट पम्पिंग स्टेशन से गोमती बैराज तक गोमती नदी में अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्राप्त रू0 2.00 लाख भारत सरकार को वापस लौटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-05(जी)ज0प0/2016-10ज0प0/03 दिनॉक 11-05-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ के गौऊ घाट पम्पिंग स्टेशन से गोमती बैराज तक गोमती नदी में अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन विकास के लिये भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्राप्त रू0 2.00 लाख जो व्यय नहीं की जा सकी, को पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किये जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत धनराशि आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखाधिकारी (कंट्रोल) मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवे, आईडीए बिल्डिंग, जामनगर हाऊस को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि को संगत लेखाशीर्षक से आहरित कर भारत सरकार को वापस कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखाशीर्षक-"1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-03-केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान-900-घटायें-वापसियॉ-01-वापसियॉ" के नामे डाला जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-9-205/दस-2016, दिनॉक 16-6-2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-45/2016/1267(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।